"That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) read with sub-section (1A) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one Member from among the Members of the House to be a member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps".

The question was put and the motion was adopted

SPECIAL MENTIONS

Ban on Purchase of Ordinary Salt

डॉ॰ महेश चन्द्र शर्मा (राजस्थान): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली 28 तारीख से इस देश में सामान्य नमक को बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी गई है और ये आदेश जारी कर दिए गए हैं कि हिन्दुस्तान का हर दुकानदार आयोडाइज्ड नमक रखेगा और हिंदुस्तान का आम नागरिक आयोडाइज्ड नमक के पैकेट ही खरीदेगा। इस आदेश की यदि अवहेलना हुई तो अवहेलना करने वाले को दंडित किया जाएगा और वह दंड होगा एक हजार रुपया जुर्माना या फिर सज़ा। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पांच हज़ार साल से इस देश का आम आदमी सामान्य नमक खा रहा है और उसे खा कर हम लोग इस देश में स्वस्थ है लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी बनी हैं कि देश और दुनिया के सारे ही उपभोक्ता बाजारों पर बड़ी-बड़ी देशी और विदेशी कंपनियां अपना एकाधिकार जमा रही हैं और इन बड़ी-बड़ी देशी-विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को पुष्ट करने वाले कानून सरकारें भी पारित कर देती हैं। महोदय, मुझे आश्चर्य है और दुख भी है कि भारत की सरकार ने इस प्रकार का नोटिस कैसे निकाला जिसके कारण से हिन्दुस्तान का आम आदमी सामान्य नमक खाय तो अपराधी हो जाए। मान्यवर, हम सबको ध्यान है कि नमक का हमारी आजादी के आन्दोलन से खास लगाव है। नमक बनाकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। नमक हिन्दुस्तान के आम आदमी की जरूरत है और इसलिए आज तक भी नमक पर भारत में कोई कर नहीं लगाया गया है आज भी नमक की ढुलाई रेल्वे से रियायती दरों पर होती है और इसलिए हिन्दुस्तान के आम आदमी को आज के मुकाबले चार-पांच साल पहले तक 50 पैसे प्रति किलो में नमक प्राप्त होता था और आज से बाध्य किया जा रहा है कि वह उन बड़ी-बड़ी कम्पनियों का नमक खरीदें जो लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करके, विज्ञापन करके लोगों को सम्मोहित करना चाहती हैं और एक किलो, आधा किलो का पैकेट बेचती हैं। हिन्दुस्तान का वह आदमी जो रोजाना मसाला खरीदकर सब्जी बनाता है, वह पांच रुपये किलो नमक खरीदकर अपनी सब्जी में डाले.....

एक माननीय सदस्य: आठ रुपये किलो।

डॉ॰ महेश चन्द्र शर्मा: महोदय, मैं अपनी गैर जानकारी के लिए क्षमा चाहता हूं। पांच रुपये नहीं, आठ-दस रुपये किलो नमक खरीदकर कैसे वह अपनी सब्जी और चटनी को नमकीन बना सकता है। महोदय, अच्छा तो यह होता है शासन परिवर्तन के साथ ही इस लोक विरोधी कानून को समाप्त कर दिया जाता। यह एक अजीब प्रकार का ढोंग है। आयोडाइज्ड नमक की कल्पना, हम सब जानते हैं कि नमक में आयोडीन की कमी होती है तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं, घेंघा हो जाता है, प्रसूता स्त्रियों के अनेक रोग हो जाते हैं। लेकिन भारतवर्ष के तीन ओर समुद्र हैं। समुद्र के किनारे कहीं भी आयोडीन की कमी नहीं होती है। भारत का उत्तर भारत का वह छोटा सा प्रदेश है जहां आयोडीन की कमी होती है और वहां भी महोदय, जितने सर्वेक्षण हुए हैं, उन सर्वेक्षणों के हिसाब से बहुत थोड़े लोग, यानी 0.2 प्रतिशत लोगों को इस प्रकार के रोगों की जानकारी मिली है। निश्चय ही इन रोग ग्रस्त क्षेत्रों में आयोडाइज्ड नमक की व्यवस्था करवानी चाहिए। वहां के लोगों में प्रचार भी करना चाहिए परन्तु हिन्दुस्तान के सौ करोड़ लोगों को इसके लिए बाध्य कर दिया जाए कि वह आयोडाइज्ड नमक खरीदें, यह कल्पना मैं समझता हूं कि बिना सिर-पैर की है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। महोदय, हम तो तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जहां आयोडाइज्ड नमक को इस प्रकार कानून से पाबंद कर दिया गया हो कि वही खाना होगा। यह हमारे मौलिक अधिकारों पर भी आघात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का उल्लेख करना यहां आवश्यक नहीं है। पश्चिम के देशों में टेबल पर नमक रखा जाता है पर हिन्दुस्तान में नमक टेबल पर नहीं रखा जाता। हिन्दुस्तान में जब सब्जी बनती है तब नमक उसमें डाल दिया जाता है। महोदय, गरमी पड़ने पर आयोडीन उड़ जाता है, उसमें नहीं रहता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आगामी कुछ दिनों में संपूर्ण देश में इस संबंध में आक्रोश व्याप्त होने वाला है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह तत्काल हस्तक्षेप करके इस कानून को पूरे तौर पर रद्द कर दे। धन्यवाद।

सभापति: श्री राघवजी।

प्रो॰ राम कापसे (महाराष्ट्र): सर, इसी विषय पर मेरा

सभापति: श्री राघवजी।

प्रो॰ राम कापसे (महाराष्ट्र): सर, इसी विषय पर मेरा भी स्पेशल मैंशन है।

प्रो॰ राम बक्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी इससे स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री राघव जी (मध्य प्रदेश): सर, मैं इनसे सहमत हूं .....(व्यवधान)..

श्री गोविन्द राम मिरी (मध्य प्रदेश): महोदय मैं डा॰ महेश चन्द्र शर्मा जी से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the sentiments expressed by Dr. Mahesh Chandra Sharma.

PROF. RAM KAPSE Sir, I have also given a notice on this subject and I fully suport Dr. Mahesh Chandra Sharma on this point. But, at the same time there is another side of the story. The issue is that there are producers of salt, especially in Thane and Raigarh districts. They will be the sufferers. As regards the iodised salt, they can't produce that salt in Thane District, in Raigarh District. It is a separate phenomenon, and they will have to stop producing the salt. For hundreds of years, they have been producing the salt. So, the problem will be faced by the common man because there will be a hike in the prices, and, at the same time, there will be a problem for the producers who will also be suffering. So, I request hon. Sikander Bakhtji ....*(Interruptions.)*....

श्री सभापति: सिकन्दर बख्त जी कृपया आप सुन लीजिए।

PROF. RAM KAPSE: I request him to consider our views and give them some relief.

सदन के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहब, मैंने दरख्वास्त की थी, मैं इस सिलसिले में इंटरवीन करने के लिए दो मिनट चाहूंगा। मैं ऑनरेबुल मैम्बर्स के जज्बात की कद्र करता हूं, गवर्नमेंट भी इसको अच्छी तरह से महसूस करती है और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई न कोई मुनासिब कदम फौरन उठाएगी। जज्बात काफी तीव्र हैं, टेढ़े हैं, लेकिन ठीक हैं, दुरूस्त हैं। गवर्नमेंट इसको महसूस करती है और जरूर कोई न कोई कदम इस सिलसिले में उठाया जाएगा। इतना मैं कहना चाहता हूं।

†[قائد ایوان "شری سکندر بخت": صدر صاحب - میں نے درخواست کی تھی، میں اس سلسلہ میں انٹروین کرنے کے لئے دو منٹ چاہونگا - میں آنریبل ممبر کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، گورنمنٹ بھی اسکو اچھی طرح محسوس کرتی ہے اور مجھے یقین ہے گورنمنٹ اس سلسلہ میں کوئی نہ کوئی مناسب قدم فوراً اٹھائے گی - جذبات کافی تیور ہیں، ٹیڑھے ہیں، لیکن ٹھیک ہیں، درست ہیں، گورنمنٹ اس کو محسوس کرتی ہے اور ضرور کوئی نہ کوئی قدم اس سلسلہ میں اٹھایا جائے گا اتنا میں کہنا چاہتا ہوں -]

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, we have to simply withdraw the notification. There is a total unanimity in the country. ...*(Interruptions)*...

SHRI SIKANDER BAKHT: Just a minute. Just a minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This notification has to be withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Let me hear him.

श्री सिकन्दर बख्त: जितनी बेबाक बातें हमारे साथी कर रहे हैं मैं उतनी बेबाकी की हद तक तो नहीं जा सकता, लेकिन यह कह सकता हूं कि उनके जज्बात से मुत्तकिल है गवर्नमेंट और इसके लिए मुनासिब कदम उठाये जायेंगे।

†[شری سکندر بخت: جتنی بے باک باتیں ہمارے ساتھی کر رہے ہیں میں اتنی بے باکی کی حد تک تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے جذبات سے متعلق ہیں گورنمنٹ اور اس کے لئے مناسب قدم اٹھائے جائیں گے -]

श्री सभापति: सवाल यह है कि कब तक ..... (व्यवधान) ....

श्री अनंतराय देवशंकर दवे (गुजरात): महोदय, सवाल यह है कि ....

†[ ]Transliteration in Arabic Script

श्री सभापति : आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी बात ही कर रहा हूं। कब तक इसका फैसला करने का आपका ख्याल है?

श्री सिकन्दर बख्त: फौरन ही करने का इरादा है। फौरन दूर नहीं है क्योंकि इसमें कोई एजिटेशन वगैरह भी होने वाला है, उससे पहले-पहले ही करने की कोशिश करेंगे।

†[شری سکندر بخت: فوراً ہی کرنے کا ارادہ ہے۔ فوراً دور نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ایجی ٹیشن وغیرہ بھی ہونے والا ہے، اس سے پہلے پہلے ہی کرنے کی کوشش کریں گے۔]

Discontentment among Jains caused by Desecration of Statues of Jain Tirthankars at Shivpuri District of Madhya Pradesh

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में घटी एक दुखद किन्तु गम्भीर घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 24 अप्रैल की रात्रि में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बनियाढाना गांव के पास गोलाकोट पहाड़ी में प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यह अतिशय क्षेत्र है और वहां पर विशाल और पवित्र जैन मंदिर स्थित हैं। उन जैन मंदिरों में से 46 देवी-देवताओं की मूर्तियों के सिर काट कर गायब कर दिए गए। इन 46 मूर्तियों में से 14 मूर्ति 6 फुट ऊंची थीं और 32 मूर्तियां तीन-चार फुट ऊंची थीं। ये मूर्तियां दसवीं और ग्यारहवीं सदी की थीं और पुरात्व की दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान मूर्तियां थीं और धार्मिक दृष्टि से भी इनको अत्यन्त पवित्र माना जाता रहा है। इसीलिए बड़ी संख्या में यात्रीगण वहां की यात्रा करते हैं और उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं जबकि वह बहुत ही निर्जन स्थान पर स्थित हैं। इस घटना के कारण से हिन्दुस्तान भर के जैन समाज में बड़ा रोष व्याप्त है, तनाव भी है और उन्हें दुख भी है। इसीलिए स्थान-स्थान पर बन्द, हड़ताल, धरने और प्रदर्शन हुए हैं और इसके बारे में प्रस्ताव आदि पारित हुए हैं जो कि समाचार पत्रों में छपे हैं।

दुर्भाग्य से, प्रदेश की सरकार ने केवल मामले को दर्ज करने के अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लगभग एक महीना बीत गया है परन्तु अभी तक किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला है। इस स्थान से पहले भी कुछ समय पूर्व भी मूर्तियां चोरी चली गई थीं, किन्तु खेद का विषय है कि उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था राज्य सरकार ने नहीं की है। इस मामले में अभी तक अनिश्चितता की स्थिति थी कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जा रहा है या नहीं सौंपा जा रहा है। मुख्य मंत्री जी कभी कह देते हैं कि सौंपा जा रहा है और कभी चुप रहते हैं, लेकिन आज समाचार-पत्रों में यह छपा है कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। ऐसी स्थिति में, मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो गंभीर घटना है, उससे व्याप्त तनाव और रोष का जो प्रकरण है उसको गम्भीरता से लेते हुए इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें और ऐसी कार्रवाई की जाये कि वह गिरोह पकड़ा जा सके। क्योंकि इन मूर्तियों के सिर काटकर ले जाने की घटना जिस प्रकार से घटी है उससे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा गिरोह, संगठित गिरोह इस काम को कर रहा है। वह या तो इस नीयत से कर रहा है कि इनको विदेशों में जाकर बेचा जाए या इस वजह से कर रहा है कि कोई साम्प्रदायिक तनाव पैदा किया जा सके। मैं समझता हूं कि कोई संगठित गिरोह इस काम को कर रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की प्रभावी ढंग से जांच हो और अगर ऐसा प्रयास करने में केन्द्र सरकार सफल रही, सीबीआई सफल रही तो और भी बहुत सी बातें उजागर हो सकती हैं। इसलिए मैं पुन: केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह मामला राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है तो उस पर तुरन्त कार्रवाई करें और यदि नहीं सौंपा है तो राज्य सरकार से यह आग्रह करें कि यह मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए जिससे कि इस पर उचित कार्रवाई हो सके।

Alleged I.S.I. Activities in Tamil Nadu and Kerala

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh): Thank you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to bring, through the House, to the notice of the Government and the nation a serious development that is taking place in South India. Now the role of I.S.I. in organising communal riots in North India, in Kashmir, in Punjab, etc., is well known and the Government has taken effective steps and there is some relief. Now its operation has been shifted to South India mainly to Kerala, Tamil Nadu and parts of Andhra Pradesh. I had brought this fact to the notice of the House on earlier occasions